1 🔊 आपराधिक प्रकरण कमांक 1126/2015

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1126/2015 संस्थापित दिनांक 05/12/2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

..... अभियोजन

बनाम

- श्याम राठौर पुत्र कल्लाराम राठौर
- 2. रवि राठौर पुत्र श्याम राठौर
- मिथलेश पत्नी श्याम राठौर निवासीगण हरिनिर्मल टाकीज के सामने नई सडक ग्वालियर

...... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—324 / 34, 323, 504 भा0द0सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री के0पी0 राठौर।)

<u>:-- नि र्ण य --:</u>

(आज दिनांक 14.02.2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 06/06/15 को सुबह करीबन 10:00 बजे छततरपुरा गोहद में फरियादी श्रीचन्द्र को अपमानित करने के आशय से गाली गलौच कर प्रकोपित करने एवं उसी समय आहत कल्याण की थाप घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी श्रीचंद्र की लात घूसों से मारपीट कर उसे दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु आरोपी रिव राठौर पर भा0दं0सं० की धारा 504, 324 एवं 323 तथा आरोपी श्याम राठौर एवं मिथलेश राठौर पर भा0दं0सं० की धारा 504, 323, 324/34 एवं 323 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.2015 को सुबह करीबन 10:00 बजे फरियादी श्रीचंद्र के लड़के की पत्नि रजनी बाई राठौर के पिता आरोपी श्याम राठौर मां मिथलेश राठौर एवं भाई रवि राठौर फरियादी श्रीचंद्र के घर पर आये थे एवं श्रीचंद्र से कहा था कि वह

लोग रजनी को क्यों परेशान करते हैं, इस पर श्रीचंद्र ने कहा था कि वह परेशान नहीं करता है, इसी बात पर तीनों आरोपीगण उससे गालीगलौच करने लगे थे, उसे आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो आरोपीगण ने उसे जमीन पर पटककर उसकी लात घूसों से मारपीट की थी, जिससे उसे दाहिने हाथ में तथा पीठ में चोट आई थी। उसे बचाने उसके पिता कल्याण आये थे तो तीनों आरोपीगण ने कल्याण की थाप घूसों से मारपीट की थी, जिससे कल्याण के पसली में मूंदी चोट आई थी, मौके पर रामौतार राठौर एवं मेघ सिंह आ गये थे, जिन्होंने बीच-बचाव कराया था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अदम चैक क0 149/15 लेखबद्ध की गई थी एवं फरियादीगण को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। फरियादीगण की चिकित्सीय रिपोर्ट में फरियादी श्रीचंद्र को आई चोट मानव दांत के काटने से आना लेखबद्ध होने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध क0 230/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया था।

- उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।
- द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया हैकि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
- इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :— क्या आरोपीगण ने दिनांक 06.06.15 को सुबह करीबन 10 बजे छततरपुरा गोहद में फरियादी श्रींचंद्र को अपमानित करने के आशय से गाली गलौच कर प्रकोपित किया ?
- क्या घटना दिनांक को फरियादी श्रीचंद्र एवं आहत कल्याण के शरीर पर उपहतियां थी ? यदि हां तो उनकी प्रकृति।
- क्या उक्त उपहतियां फरियादी श्रीचंद्र एवं आहत कल्याण को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया कारित की गई?
- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० 01 साक्षी रामौतार अ०सा० ०२, आहत कल्याण अ०सा० ०३, ए०एस०आई उदल सिंह भदौरिया अ०सा० ०४ मेह ासिंह अ०सा० ०५, ए०एस०आई० कमलेश कुमार अ०सा० ०६ एवं डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० ०७ को परीक्षित कराया गया। जबिक आरापीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 06.06.2015 की सुबह 10:00 बजे की बात है। आरोपीगण उसके घर आये थे और उससे गालीगलीच करने लगे थे। आहत कल्याण अ०सा० ०३ ने भी अभियोजन के

<u> 3 अापराधिक प्रकरण कमांक 1126/2015</u>

इस सुझाव को स्वीकार किया है कि तीनों आरोपीगण ने श्रीचंद्र से गालीगलोच की थी। साक्षी मेघसिंह अ०सा० ०५ ने भी सभी आरोपीगण द्वारा गाली गलौच करना बताया है।

- हस प्रकार फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०1, कल्याण अ०सा० ०3 एवं मेघसिंह अ०सा० ०5 ने सभी आरोपीगण द्वारा गालीगलौच करना तो बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह नहीं बताया है कि किस आरोपी ने वास्तविक रूप से कौन से शब्द अभिवंचित किये थे, जिन्हें सुनकर फरियादीगण प्रकोपित हुए थे। जहां कहीं आरोपीगण पर गालीगलौच करने का आरोप हो, वहां फरियादीगण का मात्र यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि सभी आरोपीगण ने गाली गलौच किया था। साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरूद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए। सभी आरोपीगण के विरूद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- 9. प्रकरण में फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० 01, कल्याण अ०सा० 03 एवं मेघसिंह अ०सा० 05 ने ासभी आरोपीगण द्वारा गालीगलौच करना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने ऐसे कौन से शब्द अभिवंचित किये थे जिन्हें सुनकर फरियादीगण को प्रकोपन कारित हुआ था और वह लोक शांति भंग करने को उत्प्रेरित हो गये थे। ऐसी स्थिति में भा०दं०सं० की धारा 504 के संगठक पूर्ण नहीं होते है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा०दं०सं० की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

- 10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० ०७ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक ०६.०६.१५ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक भगवत शर्मा द्वारा लाए जाने पर आहत श्रीचंद्र का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने श्रीचंद्र के शरीर पर 3 चोटें पाई थी जिनमें से चोट क० 1 दाहिने हाथ में उपर की ओर दांतों से काटने का निशान, चोट क० ०२ नाक में दाहिने ओर खरोंच एवं चोट क० ०३ बाये स्केपुला पर खरोंच स्थित थी। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व ६ घंटे के अंदर की थी एवं सामान्य प्रकृति की थी। चोट क० ०१ दांतों के काटने से आई थी एवं चोट क० ०२ एवं ०३ कठोर एवं मोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी० ०३ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 11. फरियादी श्रीचंद्र अ0सा0 01 ने भी झगड़े के दौरान उसके शरीर पर चोटें आना बताया है। साक्षी रामौतार अ0सा0 02, कल्याण अ0सा0 03 एवं मेघिसंह अ0सा0 05 ने भी झगड़े के दौरान फरियादी श्रीचंद्र के शरीर पर चोट आना बताया है। फरियादी श्रीचंद्र के शरीर पर चोटे आना बताया है। प्र0पी0 01 की की अद्म चैक एवं प्र0पी0 02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी श्रीचंद्र के शरीर पर चोटे होने का उल्लेख है। डाँ० धीरज गुप्ता अ0सा0 07 ने भी घटना दिनांक को फरियादी श्रीचंद्र के शरीर पर चोटे होना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वार पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन फरियादी श्रीचंद्र के शरीर पर चोटे होने के बिंदु पर अखण्डनीय रहा है। डाँ० धीरज गुप्ता अ0सा0 07 चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी है। उसकी फरियादीगण से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने परीक्षण के दौरान फरियादी श्रीचंद्र के शरीर पर उपहित होने के बिंदु पर

अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है। आहत कल्याण की चोटों का कोई चिकित्सकीय प्रमाण अभिलेख पर नहीं है।

12. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को आहत कल्याण के शरीर पर को उपहतियां नहीं थी एवं फरियादी श्रीचंद्र के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति साधारण थी।

विचारणीय प्रश्न क0 4

- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 06.06.2015 को सुबह 10:00 बजे की है। आरोपीगण उसके घर पर आये थे और उससे कहा था कि वह उनकी लड़की को ठीक नहीं रखता है। आरोपीगण ने उसे जमीन पर पटक लिया था व मारपीट करने लगे थे, तीनों आरोपीगण लातघूसों से उसकी मारपीट करने लगे थे। रवि ने उसके बाये हाथ में पीछे भुजा में काट लिया था। उसके पिता कल्याण उसे बचाने आये थे तो आरोपीगण ने उनकी भी लातघूसों से मारपीट की थी, जिससे उनकी पसलियों में दाहिनी तरफ चोट आई थी। फिर वह रिपोर्ट करने गया था। रिपोर्ट प्र0पी0 01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामीका प्र0पी0 02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रामौतार और मेघसिंह ने आकर उसका बीच बचाव किया था। प्रतिपरीक्षण के पद क0 02 में उक्त साक्षी व्यक्त किया है कि आरोपी श्याम उसका समधी है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि श्याम की लड़की रजनी ने उसके उपर दहेज का मुकदमा लगाया था, वह मुकदमा इस मुकदमे के पहले का था। उसके लड़के नीरू ने रजनी के उपर पहले एक केस किया था, वह केस अभी भी चल रहा है। रजनी से आरोपीगण की बात हुई थी, रजनी ने ही आरोपीगण को बुलाया था। झगड़ा उसके घर के दरबाजे पर हुआ था। श्यामसिंह के आने के कुछ देर बाद ही झगड़ा हुआ था। प्रतिपरीक्षण के पर क0 03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि उसके कुल कितनी चोटें थी। वह नहीं बता सकता कि उसने डॉक्टर को कितनी चोटें इलाज के लिए बताई थी। उसने प्र0पी0 01 की रिपोर्ट लिखाते समय यह बता दिया था कि रिव ने उसकी बायी भूजा में पीछे की ओर काट लिया था, अगर न लिखा हो तो मैं कारण नहीं बता
- 14. आहत कल्याण अ०सा० 03 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह अपने घर पर लेटा था, तभी आरोपीगण आकर उससे झगड़ा करने लगे थे। रिव ने उसके घूंसों मारा था जो उसकी दाहिनी पसली में लगा था। रिव ने श्रीचंद्र के दाहिने बखा में काट लिया था। रामौतार एवं में हिंह ने आकर बीच बचाव कराया था। मिथलेश एवं श्याम ने आकर श्रीचंद्र को पकड़ लिया था तथा रिव ने श्रीचंद्र की मारपीट कर दी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रिव ने श्रीचंद्र की पीट में दांतों से काटा था तथा यह भी स्वीकार किया है कि जब उसने अपने लड़के श्रीचंद को बचाया था तो आरोपीगण ने उसकी भी मारपीट कर दी थी, उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि तीनों आरोपीगण ने श्रीचंद्र की लातह सों से मारपीट की थी।
- 15. साक्षी रामौतार अ०सा० 02 एवं मेघसिंह अ०सा० 05 ने भी आरोपीगण द्वारा श्रीचंद्र की मारपीट किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

<u> 5</u> <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 1126/2015</u>

- 16. ए०एस०आई० उदल सिंह भदौरिया अ०सा० ०४ ने प्र०पी० ०१ की अद्म चैक को प्रमाणित किया है एवं ए०एस०आई० कमलेश कुमार अ०सा० ०६ ने प्र०पी० ०२ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।
- 17. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 18. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० 01 ने अपने कथन में यह बताया है कि हाटना के समय तीनों आरोपीगण ने लात घूंसों से उसकी मारपीट की थी तथा रिव ने उसके बाये हाथ में पीछे काट लिया था एवं जब उसके पिता उसे बचाने आये थे तो आरोपीगण ने उनकी भी लातघूंसों से मारपीट की थी जिससे उसके पिता को पसलियों में चोटें आई थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसने प्र०पी० 01 की रिपोर्ट लिखाते समय यह बता दिया था कि रिव ने उसकी बायी भुजा में काट लिया था, यदि न लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। आहत कल्याण अ०सा० 03 एवं साक्षी रामौतार अ०सा० 02 तथा मेघिसंह अ०सा० 05 ने भी आरोपी रिव द्वारा श्रीचंद्र के पीठ में दांतों से काट लेना बताया है।
- फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०१ ने अपने कथन में यह बताया है कि झगड़े के दौरान आरोपी रवि ने उसके बाये हाथ में दांतों से काट लिया था। आहत कल्याण अ०सा० ०३, रामौतार अ०सा० ०२ एवं मेघसिंह अ०सा० ०५ ने भी आरोपी रिव द्वारा श्रीचंद्र के दांतों से काट लेना बताया है परन्तु इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी0 01 की अदम चैक एवं प्र0पी0 02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा फरियादी श्रीचंद्र के पुलिस कथन प्र०डी० ०१ में नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०१ का कथन प्र०पी० ०१ की अद्म चैक, प्र0पी0 02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र0डी0 01 के पुलिस कथन से विरोधाभाषी रहा है। यदि वास्तव में आरोपी रवि ने श्रीचंद्र की पीठ में दांतों से काटा था, तो इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी० 01 की अद्म चैक एवं प्र0पी0 02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य होता, परन्तु प्र0पी0 01 की अद्म चैक एवं प्र0पी0 02 की प्रथम सुचना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि झगड़े के दौरान रवि ने श्रीचंद्र की पीठ में दांतों से काटा था। साक्षी रामौतार अ०सा० ०२ एवं मेघसिंह अ०सा० ०५ ने भी अपने कथन में आरोपी रवि द्वारा श्रीचंद्र की पीठ में दांतों से काट लेना बताया है परन्तु उक्त तथ्य का उल्लेख साक्षी रामौतार अ0सा0 02 एवं मेघसिंह अ0सा0 05 के पुलिस कथन में नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दू पर रामौतार अ०सा० ०२ एवं मेघसिंह अ०सा० ०५ के कथन भी अपने पुलिस कथन से विरोधाभाषी रहे है। जहां तक उक्त बिन्दू पर कल्याण अ०सा० ०३ के कथन का प्रश्न है कि तो कल्याण अ०सा० ०३ ने अपने कथन में आरोपी रवि द्वारा श्रीचंद्र की पीठ में दांतों से काट लेना बताया है परन्तू इस तथ्य का उल्लेख प्र०पी० 01 की अदम चैक एवं प्र0पी0 02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। फरियादी श्रीचंद्र अ0सा0 01 ने यद्य पि न्यायालय के समक्ष यह बताया है कि रवि ने उसके बाये हाथ में काट लिया था, परन्तु यह बात फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०१ द्वारा प्र०पी० ०१ की अदम चैक एवं प्र०पी० ०२ की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताई गई है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी श्रीचंद्र अ०साँ० ०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि रवि ने उसके बाये हाथ में काट लिया था परन्तु चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 03 में फरियादी श्रीचंद्र के बाये हाथ में दांत से काटने की चोट होना वर्णित नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०१ का कथन प्र०पी० ०१ की अद्म चैक, प्र०पी० ०२ की

प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र0पी0 03 की चिकित्सकीय रिपोर्ट से किंचित विरोधाभाषी रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर फरियादी श्रीचंद्र अ0सा0 01 का कथन विश्वास योग्य नहीं है एवं उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि फरियादी श्रींचंद्र द्वारा उक्त बिन्दु पर अपने कथनों को बढ़ा चढाकर प्रस्तुत किया गया है परन्तु मात्र इस आधार पर फरियादी श्रीचंद्र अ0.सा0 01 के सम्पूर्ण कथनों पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

- 20. फरियादी श्रीचंद्र अ0सा0 01 ने अपने कथन में यह बताया है कि तीनों आरोपीगण ने उसकी लातघूंसों से मारपीट की थी, उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषी से परे रहा है। साक्षी रामौतार अ0सा0 02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन श्रीचंद्र की आरोपीगण से लड़ाई हो रही थी एवं आरोपीगण श्रीचंद्र की धक्का मुक्की कर रहे थे। साक्षी कल्याण अ0सा0 03 ने भी अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि तीनों आरोपीगण ने श्रीचंद्र की लात घूसों से मारपीट की थी। मेघसिंह अ0सा0 05 ने भी सभी आरोपीगण द्वारा श्रीचंद्र की मारपीट करना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन सभी आरोपीगण द्वारा फरियादी श्रीचंद्र की मारपीट किये जाने के बिन्दु पर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।
- जहां तक आहत कल्याण की मारपीट किये जाने का प्रश्न है तो फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०१ ने अपने कथन में बताया है कि जब उसके पिता उसे बचाने आये थे तो आरोपीगण ने उसके पिता की लात घूंसों से मारपीट की थी। आहत कल्याण अ०सा० ०३ ने अपने कथन में यह बताया है कि झगड़े के दौरान रवि ने उसकी दाहिनी पसली में घूसा मारा था। इस प्रकार फरियादी श्रीचंद्र अ0सा0 01 ने सभी आरोपीगण द्वारा कल्याण की लात घूसों से मारपीट करना बताया है। जबकि आहत कल्याण अ०सा० 03 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी रवि ने उसके घूंसा मारा था। आहत कल्याण अ०सा० ०३ का ऐसा कहना नहीं है कि सभी आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी। इस प्रकार उक्त बिन्द् पर फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०१ के कथन कल्याण अ०सा० ०२ के विरोधाभाषी रहे है। इसके अतिरिक्त साक्षी रामौतार अ०सा० ०२ एवं मेघसिंह अ०सा० ०५ द्वारा यह नहीं बताया गया है कि झगडे के दौरान कल्याण की भी मारपीट की गई थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०१ एवं कल्याण 03 के कथन रामौतार अ0सा0 02 एवं मेघसिंह अ0सा0 05 के कथन से परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। इसके अतिरिक्त कल्याण अ0सा0 03 ने झगड़े के दौरान उसकी पसली में चोट आना बताया है परन्तू उक्त संबंध में कल्याण की कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है। कल्याण अ०सा० ०३ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने अपनी चोट का मेडीकल कराया था परन्तु कल्याण की ऐसी कोई मेडीकल रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न नहीं है। आहत कल्याण की मारपीट के संबंध में कोई चिकित्सकीय प्रमाण अभिलेख नहीं है, न ही घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रामौतार अ०सा० ०२ एवं मेघसिंह अ0सा0 05 द्वारा यह बताया गया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने कल्याण की भी मारपीट की थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि झगडे के दौरान आरोपीगण ने कल्याण की भी मारपीट की थी। अतः आरोपीगण को कल्याण की मारपीट के संबंध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

<u> 7</u> 🔗 <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 1126/2015</u>

का प्रश्न है तो फरियादी श्रीचंद्र अ0सा0 01 ने अपने कथन में तीनों आरोपी द्वारा उसकी लात घूसों से मारपीट करना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। कल्याण अ0सा0 03 ने भी अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि तीनों आरोपीगण ने श्रीचंद्र की लातघूसों से मारपीट की थी। साक्षी रामौतार अ0सा0 02 एवं मेघसिंह अ0सा0 05 ने भी आरोपीगण द्वारा फरियादी श्रीचंद की मारपीट करना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण ने यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहा है।

- 23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि रजनी द्वारा फिरयादीगण के विरूद्ध प्र0डी0 04 की अद्म चैक लेखबद्ध कराई गई थी, इस कारण फिरयादीगण द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त संबंध में प्र0डी0 04 की अद्म चैक प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि रजनी द्वारा फिरयादी श्रीचंद्र एवं आहत कल्याण के विरूद्ध भा0दं०सं० की धारा 323 के अंतर्गत घटना दिनाक को अद्म चैक लेखबद्ध कराई गई थी परन्तु मात्र उक्त आधार पर अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि फिरयादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है, तो भी रंजिश एक दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फिरयादीगण द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फिरयादीगण की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 24. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण में फरियादी श्रीचंद्र अ०सा० ०१ के कथन आरोपीगण द्वारा उसकी लातघूसों से मारपीट किये जाने के बिंदु पर अखिण्डत रहे हैं। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्य के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। विवेचक को परीक्षित न कराया जाना अभियोजन की प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं मात्र त्रुटि से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 25. उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह दर्शित है कि फरियादी श्रीचंद्र अ0सा0 01 ने अपने कथन में तीनों आरोपीगण द्वारा उसकी लात घूसों से मारपीट करना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। कल्याण अ0सा0 03 ने भी अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि तीनों आरोपीगण ने श्रीचंद्र की लातघूसों से मारपीट की थी। साक्षी रामौतार अ0सा0 02 एवं मेघसिंह अ0सा0 05 ने भी आरोपीगण द्वारा फरियादी श्रीचंद की मारपीट करना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहा है। फरियादी द्वारा घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने पर की गई है। फरियादी श्रीचंद्र के कथन तात्विक बिन्दुओ पर प्र0पी0 01 की अद्म चैक एवं प्र0पी0 02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पुष्ट रहे हैं। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्य के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थित में फरियादी की अखण्डनीय साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

- 26. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपी रवि श्याम राठौर एवं मिथलेश ने फरियादी श्रीचंद्र की लातघूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी।
- 27. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी रिव, श्याम राठौर एवं मिथेलश के मध्य फिरयादी श्रीचंद्र को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मध्य फिरयादी की मारपीट का सामान्य आशय निर्मित था अथवा नहीं इसका निर्धारण आरोपीगण के कृत्य एवं प्रकरण की पिरिस्थितियों से ही हो सकता है। उक्त संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य आना संभव नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में फिरयादी श्रीचंद्र के कथनो से यह दर्शित है कि झगडे के वक्त सभी आरोपीगण मौके पर मौजूद थे एवं सभी के द्वारा झगडे में भाग लिया जा रहा था एवं जहां सभी आरोपीगण द्वारा अपराध में भाग लिया जा रहा हो वहां आरोपीगण के कृत्य से यही दर्शित होता है कि सभी आरोपीगण के मध्य फिरयादी श्रीचंद्र को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था जिसके अग्रशरण में सभी आरोपीगण ने फिरयादी श्रीचंद्र की मारपीट कर उसे उपहित कारित की थी।
- 28. अब न्यायालय को यहविचार करना है कि क्या आरोपीगण ने फरियादी श्रीचंद्र को स्वेच्छया उपहित कारित की थी। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य आकिस्मक विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद में आरोपीगण द्वारा फरियादी श्रीचंद्र की लातघूसों से मारपीट कर उसे उपहित कारित की गई थी। आरोपीगण वयस्क व्यक्ति है एवं घटना दिनांक को यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस तरह से फरियादी श्रीचंद्र की मारपीट की जा रही थी उससे फरियादी को उपहित कारित होना संभावित थी। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये फरियादी श्रीचंद्र को उपहित कारित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी श्रीचंद्र को स्वेच्छया उपहित कारित की गई थी।
- 29. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी रिव पर श्रीचंद्र की मारपीट की लिए भा0दं0सं० की धारा 324 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है, परन्तु प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपी रिव ने फिरयादी श्रीचंद्र को दांतों से काटकर उसे उपहित कारित की थी। प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि आरोपी रिव ने फिरयादी श्रीचंद्र की लातघूसों से मारपीट की थी। आरोपी रिव का यह कृत्य भा0दं०सं० की धारा 323 की परिधि में आता है। आरोपी रिव पर फिरयादी श्रीचंद्र की मारपीट के लिए भा0दं०सं० की धारा 324 का आरोप विरचित किया गया है एवं भा0दं०सं० की धारा 323, धारा 324 से लघुत्तर है, ऐसी स्थित में आरोपी रिव को फिरयादी श्रीचंद्र की मारपीट के लिए भा0दं०सं० की धारा 323 के अंतर्गत विधि अनुसार दिण्डत किया जा सकता है।
- 30. समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परें यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को सामान्य आशय के अनुशरण में फरियादी श्रीचंद्र को दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी एवं यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को आहत कल्याण की थाप घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रिव को भाठदंठसंठ की धारा 324 एवं आहत कल्याण की मारपीट के संबंध में भाठदंठसंठ की धारा 323 तथा आरोपी श्याम राठौर एवं मिथलेश राठौर को भाठदंठसंठ की धारा 324 / 34 एवं आहत

<u> 9 अापराधिक प्रकरण कमांक 1126/2015</u>

कल्याण की मारपीट के संबंध में भा0दं०सं० की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

- 31. समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 06.06.15 को सुबह करीबन 10:00 बजे छततरपुरा गोहद में फरियादी श्रीचंद्र की लातघूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी। फलतः यह न्यायालय आरोपी रिव राठौर, श्याम राठौर एवं मिथलेश राठौर को भा0द0स0 की धारा 323 के अंतर्गत दोषी पाती है।
- 32. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी रिव को भा0द0स0 की धारा 504, 324 एवं 323 तथा आरोपी श्याम राठौर एवं मिथलेश राठौर को भा0दं0सं0 की धारा 504, 324/34 एवं 323 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपी रिव, श्याम राठौर एवं मिथलेश को भा0दं0सं0 की धारा 323 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोष सिद्ध करती है।
- 33. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च: -

- 34. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावें।
- 35. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नही है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण वर्ष 2015 से विचारण की पीढ़ा को झेल रहे हैं। अतः फरियादी श्रीचंद्र की चोटों की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा तथा अर्थदण्ड से दण्डित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है। फलतः यह न्यायालय आरोपी श्याम राठौर, रवि राठौर एवं मिथलेश राठौर में से प्रत्येक को भा.दं.सं. की धारा 323 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं पांच—पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दस—दस दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित करती है।

10 आपराधिक प्रकरण कमांक 1126/2015

36. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

37. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

38. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध मे धारा 428 द. प्र.स. के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे है। स्थान – गोहद

दिनांक — 14/02/2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

